बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 99/11–12

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – उर्स लाइन कानभेन्ट मध्य विद्यालय पूर्णिया को वर्ष 2006–07 से 10–11 तक में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु अनुदान राशि का अंकेक्षण।

(ख) अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष – 2006–07 से 2010–11 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन विभाग।

(घ) अंकेक्षणाधीन अवधि के नियंत्री पदा0 –

जिला शिक्षा अधिक्षक पूर्णिया :–

1. श्री अमेरिका प्रसाद – 11.7.2005 से 7.7.08 तक ।
2. श्री हरिहरनाथ झा 7.7.08 से 29.6.11 तक ।

(ङ) अंकेक्षणाधीन अवधि में लेखा प्रभारी पदाधिकारीयों एंव कर्मचारियों का

नाम ,पदनाम –

1. श्री अमेरिका प्रसाद 11.7.2005 से 7.7.08 जि0 शि0 अधि0
2. श्री हरिहर नाथ झा 7.7.08 से 29.6.11 जि0 शि0 अधि0

प्रधान लिपिक

1. श्री सत्येन्द्र प्र0 गुप्ता फरवरी 06 से जून 08 तक
2. श्री मुकुन्द प्र0 सिंह जून 08 से मार्च 09 तक
3. श्री मदन मोहन चौधरी मार्च 09 से जून 09 तक
4. श्री राधा कान्त यादव जून 09 से जनवरी 09 तक
5. श्री युगेश्वर प्रसाद जनवरी 09 से जूलाई 09 तक

लिपिक

1. श्री महेश चन्द्र घोषाल फरवरी 06 से जून 09 तक
2. श्री उद्धेश्वर प्र0 यादव जुलाई 09 से जुलाई 09 तक

अंकेक्षण अवधि के विद्यालय के प्रबंधन कारिणी समिति के अध्यक्ष –

अध्यक्ष– 1. श्रद्धेय फा अनिल लूगून वर्ष 23.3.03 से 2011 तक
सचिव – 1. सिस्टर इसावेला – 4.8.04 से 31.7.07
1. सिस्टर प्रिसिल्ला 5.8.07 से 2011 तक
प्रधानाध्यापिक– 1. सिस्टर वेने दिकता – 1.7.95 से 30.1.10
2. सिस्टर मरियम लकड़ा 01.2.10 से अब तक

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 के नाम एंव पदनाम – 1. श्री महेश चन्द्र पटेल, जिला कार्यक्रम पदा0
2. श्री मदन मोहन चौधरी, प्रधान सहायक
3. सिस्टर मरियम लकड़ा, प्रधानाध्यापिका

(छ) वरीय अंकेक्षको के नाम – 1. श्री भूपेन्द्र कुमार ,व0 अं0– 1
2. श्री संजय कुमार , व0 अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 13.09.2011

(झ) अंकेक्षण समापन तिथि – दि0 20.12.11

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 9 कार्य दिवस ।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर द्रष्टव्य है।

(ठ) अंकेक्षण का क्षेत्र –

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय कार्यालय आदेश 135 दि0 19.8.2011 एवं ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 में निहित अनुदेशों के परिपेक्ष में विद्यालयों को वर्ष 2006–07 से 10–11 तक शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन आदि मद में दी गई अनुदान राशि का सामान्य अंकेक्षण प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया। गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन आदि मद की अनुदान की राशि उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार सरकार द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को आवंटित किया गया था। दिनांक 31. 3.11 तक संधारित रोकड़ पुस्त के आधार पर आय–व्यय की जाँच की गई।

अंकेक्षण अवधि में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा संबंधित विद्यालय हेतु वेतन मद में अनुदान की राशि कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन कोषागार कार्यालय पूर्णिया के अभिलेखों से शत प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

(ड) वित्तीय समीक्षा :—

उप निदेशक (प्रा0 शि0) बिहार, पटना के द्वारा गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्प संख्यक सहित) प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन आदि भुगतान हेतु आवंटन जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्णिया को दिया गया था।

जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय द्वारा सभी विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों का वेतन विपत्र अंकेक्षण पंजी पर तैयार कर चेकों के माध्यम से विद्यालय को दिया गया पाया गया । मार्च 06 से नवम्बर 07 तक के वेतन भुगतान हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चेक दिया गया था।
प्रधानाध्यापक द्वारा सभी शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया पाया गया जबकि मार्च 08 से फरवरी 11 तक का वेतन आदि का भुगतान व्यक्तिगत चेक के माध्यम (सभी शिक्षकों के नाम से) से जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय से सभी शिक्षकों को किया पाया गया।

पूर्णिया जिला के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकों के वेतन आदि मद में सरकार की ओर से वर्ष 06—07 से 10—11 तक में कुल आवंटन 10107548 जिला शिक्षा अधिक्षक पूर्णिया को दिया गया था।

जिला शिक्षा अधीक्षक पूर्णिया द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ पुस्त में वर्ष 06—07 से पूर्व की राशि 1688649.00 पाई गई। इस तरह पूर्व की राशि 1688649.00+ आवंटन की राशि 10107548.00 = कुल 11796197.00 में से वर्ष 06—07 से 10—11 तक वेतन आदि मद में कुल 11792770.00 व्यय किया गया। शेष राशि 11796197.00—11792770.00 = 3427.00 कोषागार में जमा किया पाया गया। 31.3.11 को सम्बन्धित रोकड़ पुस्त में रोकड़ का अन्त शेष शून्य पाया गया। आवंटन एवं व्यय का वर्षवार विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य है।

(ढ़) उर्स लाइन कानभेन्ट मध्य विद्यालय पूर्णिया के शिक्षकों के वेतन आदि के रूप में वर्ष 06—07 से 10—11 तक के लिये कुल 6123210 का अनुदान जिला शिक्षा अधिक्षक कार्यालय से दिया गया था। आवंटित राशि का राशि लेखा विद्यालय के वेतन भुगतान पंजी सह रोकड़ पंजी में किया गया था। आवंटन एवं व्यय का विवरण वर्ष वार प्रतिवेदन के परिशिष्ट ''ग'' पर द्रष्टव्य है। जिसे दिखने से स्पष्ट होगा कि आवंटित राशि का वितरण किया गया था। शेष के रूप में शून्य पाया गया।

(ण) विद्यालय का स्थापना :–

प्रधानाध्यापिका द्वारा लिखित रूप में बताया गया कि उर्स लाइन कानभेन्ट मध्य विद्यालय पूर्णिया की स्थापना 1.1.1967 को की गई थी एवं विद्यालय को 19.1.1972 को स्वीकृति प्रदान की गई।

(त) शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं शिक्षकाओं की नियुक्ति :–

विद्यालय के शिक्षकोत्तर कर्मचारियों एंड शिक्षिकाओं की नियुक्ति विद्यालय के प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया जाता है एवं नियुक्ति कर अनुसंशा के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजा जाता है। जिला अधीक्षक द्वारा अनुसंशा किये जाने पर उप निदेशक द्वारा इसे स्वीकृति दिया जाता है।

भाग –2

(2) मकान किराया भत्ता मद में भुगतीत राशि रूपये 26818.00 वसूली योग्य :–

सिस्टर मरियम लकड़ा प्रभारी प्रधानाध्यापिका (उर्स लाइन कनभेन्ट मध्य विद्यालय) को मार्च 06 से फरवरी 11 तक में मकान भत्ता के रूप में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यलय द्वारा कुल 26818.00 रू0 का भुगतान किया पाया गया जबकि सिस्टर मरियम लकड़ा विद्यालय के परिसर में स्थिति क्वाटर में निवास करती थी।

निर्गत आपत्ति के द्वारा विद्यालय के क्वाटर में कितनी शिक्षिका रहती है, के जबाव में प्रभारी प्रधानाध्यापिका सिस्टर मरियम द्वारा बताया गया कि केवल मै ही विद्यालय के क्वाटर में रहती हूँ।

ऐसी स्थिति में सिस्टर लकड़ा को मकान किराया भत्ता देय नही है अतः रू0 में 26818.00 वसूली हेतु कारवाई की जाय। भुगतान की गयी मकान भत्ता की राशि प्रतिवेदन के परिशिष्ट –''घ'' पर द्रष्टव्य है। अतः रू0 26818.00 सिस्टर लकड़ा से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय एंव इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

(3) भविष्य निधि अंशदान की कुल रू0 89717.00 की कटौती नही किया जाना आपत्ति अन्तर्गत :–

जिला शिक्षा अधीक्षक के अंकेक्षण पंजी में सभी शिक्षिकाओं का वेतन विपत्र तैयार कर कुल राशि एवं भ0 नि0 में कटौती की राशि तथा शुद्ध भुगतीत राशि अंकित पाया गया।

जाँच में पाया गया कि सम्बन्धित विद्यालय को मार्च 06 से नवम्बर 07 तक संयुक्त चेक एवं मार्च 08 से फरवरी 11 तक व्यक्तिगत चेक की कुल राशि का चेक दिया गया था जबकि भ0 नि0 में दर्शायी गयी राशि की कटौती कर चेक विद्यालय के शिक्षिकाओं को दिया जाना चाहिये था। शिक्षिकाओं द्वारा चेक की कुल राशि बैंक से प्राप्त किया गया जबकि भ0 नि0 में दर्शायी गई राशि भ0 नि0 में जमा करना चाहिये था।

निर्गत आपत्ति द्वारा प्रभारी प्रधानाध्यापिका से भ0 नि0 में कटौती नही किये जाने के सम्बन्धि में बताया गया कि भ0 नि0 में कटौती नही की जा रही है।

निर्गत आपत्ति द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक से भ0 नि0 कटौती नही किये जाने के सम्बन्धि में पूछे जाने पर बताया गया कि गैर सरकारी विद्यालयों का पूर्व में डाकघर में भविष्य निधि खाता संधारित होता था। कतिपय कारणों से संबंधित शिक्षक का डाकघर में संधारित भविष्य निधि खाता बन्द है। इन शिक्षकों के भुगतान की प्रक्रिया अन्य सरकारी कर्मचारियों से भिन्न रहने तथा भविष्य निधि खाता नही खुलने के कारण भविष्य निधि मद में अंशदान नही किया जा रहा हैं। जहाँ तक विपत्र में भविष्य निधि कटौती दर्शाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कहना है कि वेतन विपत्र में भविष्य निधि कटौती कॉलम में मात्र कटौती की राशि अवश्य दर्शाई गई है परन्तु संबंधित शिक्षकों का भ0 नि0 खाता नही खुलने के कारण पूर्ण राशि का भुगतान शिक्षकों को किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभाग से मार्ग दर्शन की याचना की गई है तत्काल सम्पूर्ण राशि की भुगतान शिक्षकों को किया जा रहा है।

भ0 निधि में दर्शाई गई कटौती राशि की विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट –''ड़'' पर द्रष्टव्य है। इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिये उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है एंव की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

भाग– 3

(4) I. उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया जाना।

विद्यालय के शिक्षकाओं को मार्च 06 से फरवरी 2011 तक में वेतन मद में भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र न तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा और न तो विद्यालय के प्राधानाध्यापिका द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। इस ओर उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ii. विद्यालय के प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी के सम्बन्ध में :–

विद्यालय के प्रबन्धन कार्यकारिणी समिति की बैठक पंजी की माँग विद्यालय के प्रधानाध्यापिका से की गई। परन्तु बैठक पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे बैठक में लिए गए नितिगत फैसले एंव मुद्यों की जानकारी नही हो सकी।

iii. विद्यालय के रोकड़ पुस्त एवं वेतन भुगतान पंजी के संधारण करने का सुझाव –

विद्यालय के रोकड़ पुस्त का संधारण अलग से नही किया गया था। वेतन भुगतान पंजी से ही वेतन का विस्तृत विवरण तैयार कर लिया गया था और इसी के माध्यम से भुगतान एवं रोकड़ का शेष दर्शाया गया था। जबकि रोकड़ पंजी का अलग से संधारण किया जाना चाहिये था। भविष्य में इस ओर ध्यान दिया जाय।

लेखा नियंत्रक
वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1) आलोक कुमार गुप्ता व0 अं0– 2

(2)

" NISHU"

परिशिष्ट 'क' कंडिका –1(ट) से संबंधित

प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–
जिला शिक्षा अधिक्षक कार्या0 द्वारा प्रस्तुत अभिलेख :–

1. बिल बुक
2. रोकड़ पंजी
3. अंकेक्षण पंजी
4. चेक बुक एवं चेक पंजी
5. रेमीटेन्स रजिस्टर

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख :–

1. वेतन भुगतान पंजी सह रोकड़ पंजी

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. उपयोगिता प्रमाण–पत्र
2. सेवा पुस्त
3. विद्यालय के प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के बैठक पंजी

परिशिष्ट 'ख' कंडिका –1(ड) से सम्बन्धित

कार्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), पूर्णियाँ

गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों का आय– व्यय विवरणी :–

वित्तीय वर्ष	आय	कुल आय	विद्यालय का नाम	व्यय	कुल व्यय	अवशेष राशि	अभ्युक्ति
2006–07	प्रा0 शेष 1688649 आय 1710000	3398649	भट्ठा मा0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णियाँ	805152 1510987 332965	2649104	749545	
2007–08	प्रा0 शेष 749545 आ0– 1237000	1986545	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	370732 729164 133341	1233237	753308	
2008–09	प्रा0 शेष 753308 आ0– 1174000	1927308	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	510693 1200198 139572	1850463	76845	
2009–10	प्रा0 शेष 76845 आ0– 1946079	2022924	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	625244 1208110 112725	1946079	76845	
2010–11	प्रा0 शेष 76845 आ0– 750000 आ0– 818095 आ0– 2201721 आ0– 207292 आ0– 63361	4117314	भट्ठा म0 वि0 (बंगला) पूर्णियाँ उर्स लाईन कान्वेंट म0 वि0 प्रा0 वि0 महिला समिति पूर्णिया	1784337 1474751 854799	4119887	3427	

कुल आवंटन 10107548.00
+
पूर्व के वर्ष का शेष– 1688649.00
कुल – 11796197.00

कुल व्यय– 11792770 =3427
रू0 3427= कोषागार में जमा
31.3.11 का रोकड़ शेष शून्य

परिशिष्ट –'ग' कंडिका –1(ढ़) से सम्बन्धित
उर्सु लाईन कॉन्वेन्ट मध्य विद्यालय, पूर्णियाँ का आय–व्यय विवरणी

वित्तीय वर्ष	विद्यालयों के विभिन्न शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारी को वेतनादि मद में मिले कुल राशि
2006–07	1510987.00
2007–08	729164.00
2008–09	1200198.00
2009–10	1208110.00
2010–11	1474751.00
कुल	6123210.00

परिशिष्ट –'घ' कंडिका – 2 से सम्बन्धित
मकान भत्ता मद में भुगतीत राशि रू0 26818.00 वसूली योग्य

क्र0	शिक्षिका का नाम	अवधि	दर	कुल राशि	अभ्युक्ति
1	सिस्टर मरियम लकड़ा	मार्च 06 से फरवरी 07	120	1440.00	वेतन 1320.00
		मार्च 07 से जुलाई 07	120	600.00	वेतन 1320.00
		अगस्त 07 से नवम्बर 07	7.5 प्रतिशत	2308.00	वेतन+म0 वे0 5125+2563=7688
		मार्च 08 से जनवरी 09	7.5 प्रतिशत	6501.00	वेतन+म0 वे0 5125+2563=7875
		मार्च 09 से दिसम्बर 09	7.5 प्रतिशत	6050.00	5375+2688=8063
		मार्च 10 से जनवरी 11	10 प्रतिशत	9075.00	5500+2750=8250
		फरवरी 11	10 प्रतिशत	844.00	5625+2813=8438
				26818.00	

परिशिष्ट (ड़) कंडिका –3 से सम्बन्धित

भविष्य निधि में कटौती नही किया जाना

क्र0	शिक्षिका का नाम	अवधि	कुल राशि	भ0 नि0 में दर्शायी गई कटौती की राशि	दर्शायी गई शुद्ध भुगतान की राशि
1	सि0 बेनेदिक्ता	मार्च 06 से फरवरी 07	167215.00	4370.00	162845.00
2	सि0 मरियम लकड़ा	मार्च 06 से फरवरी 07	77954.00	1985.00	75969.00
3	बिबियाना मूर्मू	मार्च 06 से फरवरी 07	99006.00	2515.00	96491.00
4	एमरेन्सिया कुजुर	मार्च 06 से फरवरी 07	90786.00	2281.00	88505.00
5	अन्ना मिंज	मार्च 06 से फरवरी 07	90786.00	2281.00	88505.00
6	तरसीला सोरेन	मार्च 06 से फरवरी 07	109660.00	2800.00	106860.00
7	तरसीला केरकेट्टा	मार्च 06 से फरवरी 07	114698.00	2930.00	111768.00
			750105.00	19162.00	730943.00

1	सि0 बेनेदिक्ता	मार्च 06 से नवम्बर 07	151542.00	5049.00	151542.00
2	सि0 मरियम लकड़ा	मार्च 06 से नवम्बर 07	79282.00	2696.00	79282.00
3	बिबियाना मूर्भू	मार्च 06 से नवम्बर 07	96141.00	3230.00	96141.00
4	एमरेन्सिया कुजुर	मार्च 06 से नवम्बर 07	92478.00	3135.00	92478.00
5	अन्ना मिंज	मार्च 06 से नवम्बर 07	92478.00	3135.00	92478.00
6	तरसीला सोरेन	मार्च 06 से नवम्बर 07	107369.00	3628.00	107369.00
7	तरसीला केरकेट्टा	मार्च 06 से नवम्बर 07	109874.00	3693.00	109874.00
			729164.00	24566.00	729164.00

1	सि0 बेनेदिक्ता	मार्च 08 से जनवरी 09	233871.00	9001.00	233871.00
2	सि0 मरियम लकड़ा	मार्च 08 से जनवरी 09	135649.00	5222.00	135649.00
3	बिबियाना मूर्मू	मार्च 08 से जनवरी 09	157796.00	6040.00	157796.00
4	एमरेन्सिया कुजुर	मार्च 08 से जनवरी 09	158075.00	6051.00	158075.00
5	अन्ना मिंज	मार्च 08 से जनवरी 09	158075.00	6051.00	158075.00
6	तरसीला सोरेन	मार्च 08 से जनवरी 09	177851.00	6762.00	177851.00
7	तरसीला केरकेट्टा	मार्च 08 से जनवरी 09	178881.00	6862.00	178881.00
				45989.00	

1	सि0 बेनेदिक्ता	मार्च 09 से दिस0 09	235511.00	—	235511.00
2	सि0 मरियम लकड़ा	मार्च 09 से दिस0 09	136862.00	—	136862.00
3	बिबियाना मूर्मू	मार्च 09 से दिस0 09	158667.00	—	158667.00
4	एमरेन्सिया कुजुर	मार्च 09 से दिस0 09	158969.00	—	158969.00
5	अन्ना मिंज	मार्च 09 से दिस0 09	158969.00	—	158969.00
6	तरसीला सोरेन	मार्च 09 से दिस0 09	178980.00	—	178980.00
7	तरसीला केरकेट्टा	मार्च 09 से दिस0 09	180092.00	—	180092.00

1	सि0 मरियम लकड़ा	मार्च 10 से जनवरी 11	190223.00	—	190223.00
2	बिबियाना मूर्मू	मार्च 10 से जनवरी 11	219769.00	—	219769.00
3	एमरेन्सिया कुजुर	मार्च 10 से जनवरी 11	220139.00	—	220139.00
4	अन्ना मिंज	मार्च 10 से जनवरी 11	220139.00	—	220139.00
5	तरसीला सोरेन	मार्च 10 से जनवरी 11	248272.00	—	248272.00
6	तरसीला केरकेट्टा	मार्च 10 से जनवरी 11	249601.00	—	249601.00

1	सि0 मरियम लकड़ा	फरवरी 11	18173.00	—	18173.00
2	बिबियाना मूर्मू	फरवरी 11	20569.00	—	20569.00
3	एमरेन्सिया कुजुर	फरवरी 11	20569.00	—	20569.00
4	अन्ना मिंज	फरवरी 11	20569.00	—	20569.00
5	तरसीला सोरेन	फरवरी 11	23364.00	—	23364.00
6	तरसीला केरकेट्टा	फरवरी 11	23364.00	—	23364.00
					89717.00